



भारत सरकार
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./ई-मेल



सं- CHG/BBR/LST-253/RPR

खान कोड- 38CHG644001

दिनांक:-25.10.2023

प्रेषिति-

श्री नीरज अखौरी,
नामित खान मालिक,
करही चंडी चूनापत्थर खान,
सर्वश्री श्री सीमेंट लिमिटेड,
बंगुर नगर, पोस्ट बॉक्स -33,
ब्यावर, राजस्थान-305901
ईमेल-neeraj.akhoury@shreecement.com

श्री महेंद्र कुमार गर्ग
खान एजेंट,
करही चंडी चूनापत्थर खान,
सर्वश्री श्री सीमेंट लिमिटेड, A-15, श्री विहार,
बंगुर नगर, पोस्ट बॉक्स -33,
ब्यावर, राजस्थान-305901
ईमेल-gargmk@shreecement.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपके करही चंडी चूनापत्थर खान 225.719 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) [MCDR, 2017 as amended] के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 22.09.2023 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री हेमराज सिंघल, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during inspection of the mine, mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Mining Plan (MP) approved dated 09.07.2021 to the extent indicated below:-</p> <ol style="list-style-type: none">In Mining Plan, considerable development and excavation of limestone are proposed in year 2021-22, 2022-23 and 2023-24 from Pit No.01. However, it is observed during inspection that, very less development and excavation of limestone has been carried out from the said pit. Thus, development & excavation works found to be substantially lagging than envisaged in the approved MP. Further, it is observed that, the development/excavation is being carried out presently in the area which was planned for the first year itself (FY 2021-22).It was proposed to developed pit/quarry in systematic manner by formation of regular benches of 12 m maximum height and 50 m minimum width. However, it is observed during inspection that, Pit No.01 has been developed haphazardly without formation of systematic and regular benches as envisaged in the MP. <p>Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो